संख्या: 9/2015/ 302/पैंतीस-2-2015-3/16(29)/09टी0सी0-1

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनउ: दिनांक 25 मार्च, 2015**

विषय- **जनपदीय कार्यालयों को जनपदीय स्वान केन्द्र से तथा प्रभाग मुख्यालय को राज्य स्तरीय स्वान केन्द्र से जोड़े जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 177/ले0-33/2011, दिनांक 13.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा भारत संचार निगम लि0 को रू0 69,254/- का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासन के पत्र संख्या: 2541/पैतीस-2-2012-3/16 (29)/09टी0सी0-1, दिनांक 15.02.2013 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 1,75,30,268/- का अग्रिम भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.03.2015 द्वारा भारत संचार निगम लि0 को अग्रिम रूप से उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,75,30,268/- के सापेक्ष किये गये कार्य की धनराशि रू0 1,75,99,522/- के अन्तर की धनराशि रू0 69,254/- के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक से प्राप्त प्रस्तावानुसार तेरहवें वित्त् आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत अग्रिम के सापेक्ष कराये गये कार्य के अन्तर की धनराशि रू0 69,254/- (रूपये उनहत्तर हजार दो सौ चौव्वन मात्र) का भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित शर्ते एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- व्यय करने के पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

http://sansadeshup.nic.in

7- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्र्तगत मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

संख्या: 9/2015/302**(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in